

आदेश का
क्रम सं.
एवं तिथि

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर क
गई कार्रवाई व
बा में टिप्पणी
तार के साथ

1

2

3

न्यायालय अपर समाहर्ता, खगड़िया

हकसफा अपील वाद सं०-2/2011

हरिलाल रजक - अपीलार्थी

वनाम

भरोसी शर्मा वो अन्य दो - उत्तरवादी

आदेश

29.1.13

अपीलार्थी हरिलाल रजक पे० स्व० घुटर रजक, ग्राम-भदास टोला; बड़हरा थाना व जिला-खगड़िया ने भरोसी शर्मा, अनिल शर्मा वो रंजीत शर्मा सभी के पिता स्व० कार्तिक शर्मा, ग्राम-बड़हरा, थाना व जिला-खगड़िया को उत्तरवादी बनाते हुए हकसफा वाद सं०-02/2011-12 में विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया द्वारा पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर यह अपील वाद दायर किया है। इस वाद में विवादित जमीन का व्यौरा निम्न प्रकार है :-

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा			
			वी०	क०	धू०	धूर०
भदास	1008	3758 3760	00	14	09	00

चौहद्दी 30 - रामबली रजक
40 - हरिलाल रजक (अपीलार्थी)
50 - गांगो शर्मा
60 - शशि भूषण शर्मा

अपीलार्थी का कहना है कि उन्होंने प्रश्नगत भूमि का अग्रक्रय दावा हेतु विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया के न्यायालय में हकसफा वाद दायर किया था जिसकी वाद सं०-2/2011 है। उक्त विवादित भूमि उत्तरवादी सं० -2 ने उत्तरवादी सं०-1 के पक्ष में दिनांक-08.04.2011 को निबंधित केवाला द्वारा इस्तान्तरित कर दिया। अपीलार्थी का कहना है कि वे विवादित भूमि के दक्षिणी चौहद्दीदार होने के नाते उक्त भूमि का अपने पक्ष में केवाला करने हेतु बिहार भूहदबंदी अधिनियम की धारा 16 (3) के प्रावधानों के तहत हकसफा वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया के न्यायालय में किया था। उन्होंने एल०सी०-13 फार्म भी उत्तरवादी गण को भेजा था।

अपीलार्थी का आगे कहना है कि प्रपत्र एल०सी०-13 में उनके अधिवक्ता की गलती के कारण गलत भरा गया तथा विक्रेता का नाम भी गलत ढंग से भरा गया जिसके कारण विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता ने उनके आवेदन पत्र को खारिज कर दिया जबकि उन्होंने चलान द्वारा दिनांक-04.07.2011 को बिक्री राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जिला कोषागार में जमा भी कर दिया था।

7

1

2

3

यह राशि अपीलार्थी ने दिनांक-08.04.2011 को विक्री के 90 दिन के अंदर ही भूमि सुधार उप समाहत्ता के न्यायालय के नाम से राशि जमा कर दी थी। दुर्भाग्य वश एल०सी०-13 प्रपत्र उनके अधिवक्ता द्वारा गलत भर देने के कारण उनका अग्रक्रय दावे से संबंधित आवेदन पत्र को निम्न न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश से क्षुब्ध होकर यह अपील वाद दायर किया है। अपने आवेदन पत्र में उन्होंने अपने को विवादित भूमि का चौहद्दीदार बताया है और कहा है कि इस आधार पर उनका अग्रक्रय का दावा भूहदबंदी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है इसलिए उनका अपीलवाद को स्वीकार करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया है।



उत्तरवादी प्रथम पक्ष ने प्रति उत्तर दाखिल करते हुए कहा है कि यह अपील वाद विधि के अनुसार संधारणीय नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा सटिक निर्णय दिया गया है। अपीलार्थी ने भूहदबंदी अधिनियम नियम-19 का अनुपालन नहीं किया है जो (Mandatory) है। इसलिए निम्न न्यायालय द्वारा सटिक विचार किया है। उनका यह भी कहना है कि प्रश्नगत मामला तथाकथित निबंधित केवाला दिनांक-08.04.2011 के संदर्भ में लाया गया है लेकिन वास्तव में उत्तरवादीगण ऐसा कोई केवाला द्वारा क्रय नहीं किया है जो दिनांक-08.04.2011 को निबंधित हुआ हो जिसे निम्न न्यायालय ने कानूनन विचार किया है।

उत्तरवादी का आगे कहना है कि अपीलार्थी ने प्रपत्र एल०सी०-13 में यह उल्लेख किया है कि हरिलाल रजक नामक रैयत ने उस उत्तरवादी के पक्ष में जमीन हस्तान्तरित किया है जो बिलकुल झूठा है क्योंकि उत्तरवादीगण हरिलाल रजक से जमीन क्रय नहीं किया है। इसलिए इस आधार पर इसका अपीलवाद खारिज योग्य है तथा निम्न न्यायालय ने उसी आधार पर अपना निर्णय दिया है।

उत्तरवादीगण ने आगे कहा है कि निम्न न्यायालय ने यह भी विचार किया है कि प्रपत्र एल०सी०-13 में अपीलार्थी ने यह उल्लेख किया है कि क्रय मूल्य तथा उसमें 10 प्रतिशत राशि श्रीमती लीलावती देवी पति स्व० सुरेन्द्र प्र० गुप्ता के नाम से जमा की है न कि भूमि सुधार उप समाहत्ता, खगड़िया के नाम से जो अग्रक्रय के दावा हेतु आवश्यक शर्त है। उक्त प्रपत्र में विवादित भूमि का श्रेणी भी अंकित नहीं है जो आवश्यक हैं। निम्न न्यायालय ने नियम-19 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के कारण अपीलार्थी के प्रार्थना को अस्वीकृत कर दिया है।

उत्तरवादीगण का यह भी कहना है कि अपीलार्थी द्वारा हकसफा वाद दायर करने के बहुत पूर्व ही विवादित भूमि का बटबारा कर लिया गया था और उसका एक तिहायी शेयर (हिस्सा) उत्तरवादी सं०-2 अनिल शर्मा ने दक्षिण की तरफ से हासिल किया और उन्होंने अपने हिस्से की 2क० जमीन महेन्द्र शर्मा को दिनांक-06.7.2011 को विक्रीकर दी जिसके कारण अपीलार्थी का संपूर्ण विवादित जमीन 14क० 9धूर पर अग्रक्रय का दावा नहीं बनता है। इसलिए उनका आवेदन संधारणीय नहीं है। इन सभी कारणों से निम्न न्यायालय ने अपीलार्थी के आवेदन पत्र को कानूनन रूप से खारिज कर दिया है। विवादित जमीन उन्होंने वसोवास हेतु खरीद किया है। यह कृषि भूमि नहीं है।

उन्होंने उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी के अपील वाद खारिज करने की प्रार्थना की है।

आदेश की क्रम सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई व बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	<p>उभय पक्ष को सविस्तार से सुना तथा विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया द्वारा हकसफा 2/2012 में पारित आदेश का भी अवलोकन किया। विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता ने यह आदेश पारित किया है कि "चूंकि अग्रक्रय एक कर्मजोर अधिकार है अतः विद्वान भू हदवंदी नियम 19 का अनुपालन आवश्यक है तथा यहाँ प्रश्नगत जमीन केवाला में दर्ज खाता खेसरा की जमीन नहीं है तथा एल0सी0 फार्म-13 कई आधार पर त्रुटि पूर्ण है। अतः एल0सी0 फार्म-13 के त्रुटि पूर्ण होने तथा केवाला में दर्ज खेसरा से भिन्न खेसरा पर वाद लाने के कारण आवेदक के आवेदन को खारिज करते हुए इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। "</p> <p>एल0सी0 फार्म-13 का अवलोकन किया। आवेदक ने विक्रेता के जगह अपना नाम लिखा है तथा भूमि की क्रय राशि 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के साथ अधिनियम समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया के बदले विक्रेता श्री मती लीलावती देवी के नाम फार्म के कॉलम में अंकित कर दिया मस्क है। प्रपत्र में खेसरा के कॉलम में 3658 तथा 3660 अंकित है जो अंग्रेजी लिपि में है जबकि केवाला में खेसरा 3758 तथा 3760 हिन्दी लिपि में अंकित है। एल0सी0 फार्म-13 में सही मायने में गलती की गयी है। ऐसी परिस्थिति में विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया द्वारा पारित आदेश सही प्रतीत होता है। इसलिए इसे बहाल रखा जाता है तथा अपीलार्थी का अपील आवेदन खारिज किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित ।</p> <p> 29.1.13 अपर समाहर्ता, खगड़िया।</p> <p> 29.1.13 अपर समाहर्ता, खगड़िया।</p>	